List No. 1

LOK SABHA

LOKPAL AND LOKAYUKTAS BILL, 2011

(As introduced in Lok Sabha)

Notice of Amendments

Sl. No.	*Name of Member and text of Amendment*	*Clause No.*
	SHRI INDER SINGH NAMDHARI:	
1.	Page 7, *for* line 4 to 10, *substitute,*—	11
	substitute "Superintendence, direction and control of the Investigation and Anti-Corruption Division of the Central Bureau of Investigation (Delhi Special Police Establishment) (hereinafter referred to as the Inquiry Wing) established under Delhi Special Police Establishment Act, 1946, insofar as it relates to investigation of offences alleged to have been committed under the Prevention of Corruption Act, 1988, shall vest in the Lokpal."	25 of 1946 49 of 1988
2.	Page 8, *omit* lines 1 to 3.	14
3.	Page 10, lines 32 and 33,—	20
	for "the Inquiry Wing or any agency (including the Delhi Special Police Establishment)"	
	substitute "the Delhi Special Police Establishment".	
4.	Page 10, lines 40 and 41,—	20
	for "the Inquiry Wing or any agency (including the Delhi Special Police Establishment)"	
	Substitute "the Delhi Special Police Establishment".	
5.	Page 10, *for* lines 44 and 45,—	20
	substitute "(a) investigation by the Delhi Special Police Establishment"	
6.	Page 11, line 5,—	20
	for "any agency (including the Delhi Special Police Establishment)"	
	substitute "the Delhi special Police Establishment".	
7.	Page 11, lines 23 and 24,—	20
	for "any agency (including the Delhi Special Police Establishment)"	

Sl. No.	*Name of Member and text of Amendment*	*Clause No.*
	substitute "the Delhi Special Police Establishment ".	
8.	Page 19, lines 15 and 16,—	46
	for "imprisonment for a term which may extend to one year and with fine which may extend to one lakh rupees"	
	substitute "imprisonment for a term which may extend to two months and with fine which may extend to twentyfive thousand rupees"	

NEW DELHI;
December 26, 2011
Pausa 5, 1933 *(Saka)*

T. K. VISWANATHAN,
Secretary-General.

GMGIPMRND—3591LS(S3)—26.12.2011

List No. 2

LOK SABHA

LOKPAL AND LOKAYUKTAS BILL, 2011

[*As introduced in Lok Sabha*]

Notice of Amendments

Sl. No.	*Name of Member and text of Amendment*	*Clause No.*
	SHRI M. THAMBIDURAI:	
9.	Page 7, *for* lines 41 to 45, *substitute*,— "(a) a Prime Minister after he has demitted the office of the Prime Minister.	14
10.	Page 8, *omit* lines 1 to 6.	14
11.	Page 12, line 1,— *omit* "No"	23
12.	Page 27, *omit* line 31.	75

NEW DELHI;
December 26, 2011
Pausa 5, 1933 *(Saka)*

T. K. VISWANATHAN,
Secretary-General.

GMGIPMRND—3592LS(S3)—26-12-2011.

LOK SABHA

LOKPAL AND LOKAYUKTAS BILL, 2011

[*As introduced in Lok Sabha*]

Notice of Amendments

Sl. No.	*Name of Member and text of Amendment*	*Clause No.*
	SHRI TATHAGATA SATPATHY: DR. PRASANNA KUMAR PATASANI:	
13.	Page 4, *after* line 13 *insert*—	3
	"Provided further that at least one member shall be from each of the following four Zones of geographical areas of the country— (i) Eastern Zone comprising States of Orissa, West Bengal, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura and Sikkim; (ii) Western Zone comprising States of Gurajat and Maharashtra; (iii) Northern Zone comprising States of Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Uttarakhand; and (iv) Southern Zone comprising States of Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka and Tamil Nadu."	
	SHRI TATHAGATA SATPATHY:	
14.	Page 20, line 27,— *for* "seven years" *substitute* "six months"	53
	SHRI TATHAGATA SATPATHY: DR. PRASANNA KUMAR PATASANI:	
15.	Page 24, line 14,— *for* "forty-five years" *substitute* "twenty-five years"	64

NEW DELHI;
December 26, 2011
Pausa 5, 1933 *(Saka)*

T. K. VISWANATHAN,
Secretary-General.

GMGIPMRND—3593LS(S3)—26-12-2011.

<u>*List No. 4*</u>

LOK SABHA

LOKPAL AND LOKAYUKTAS BILL, 2011

(*As introduced in Lok Sabha*)

Notice of Amendments

Sl. No.	*Name of Member and text of Amendment*	*Clause No.*
	SHRI BHARTRUHARI MAHTAB:	
16.	Page 2, *for* lines 7 to 10, *substitute*,— "(*4*) The provisions of this Act relating to Lokpal shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint. (*4A*) The provisions of this Act relating to Lokayukta shall come into force on such date as the respective State Governments may, by notification in the Official Gazette, appoint."	1
17.	Page 3, *after* line 21, *insert*— '(*ka*) "minorities" means linguistic minorities;'.	1

T. K. VISWANATHAN,
Secretary-General.

NEW DELHI;
December 26, 2011
Pausa 5, 1933 *(Saka)*

GMGIPMRND—3594LS(S3)—26.12.2011

List No. 5

LOK SABHA

LOKPAL AND LOKAYUKTAS BILL, 2011

[*As introduced in Lok Sabha*]

Notice of Amendments

Sl. No.	*Name of Member and text of Amendment*	*Clause No.*
	SHRI ASADUDDIN OWAISI :	
18.	Page 7, *omit* lines 41 to 45.	14
19.	Page 8, *omit* lines 1 to 6.	14
20.	Page 20, line 27,— *for* "seven years" *substitute* "six months".	53

NEW DELHI;
December 26, 2011
Pausa 5, 1933 (*Saka*)

T. K. VISWANATHAN,
Secretary-General.

GMGIPMRND—3595LS(S3)—26-12-2011.

List No. 6

LOK SABHA

LOKPAL AND LOKAYUKTAS BILL, 2011

[*As introduced in Lok Sabha*]

Notice of Amendments

Sl. No.	*Name of Member and text of Amendment*	*Clause No.*
	SHRI HANSRAJ GANGARAM AHIR :	
21.	Page 2, line 19,— *after* "House of the People" *insert* "and Council of States".	2
22.	Page 4, *for* lines 11 to 13,— *substitute* "Provided that there shall be reservation in terms of the provisions of Constitution for the Members of the Lokpal from amongst the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and women.".	3
23.	Page 6, *after* line 31, *insert,*— "Provided that if there is any objection in the panel of names sent by the Central Government, the Lokpal shall suggest the name of Secretary which shall be binding on the Central Government for appointment as a Secretary."	10
24.	Page 8, *omit* lines 4 to 6.	14
25.	Page 11, *omit* lines 9 and 10.	20

NEW DELHI;
December 26, 2011
Pausa 5, 1933 *(Saka)*

T. K. VISWANATHAN,
Secretary-General.

GMGIPMRND—3596LS(S3)—26-12-2011.

LOK SABHA

LOKPAL AND LOKAYUKTAS BILL, 2011

[*As introduced in Lok Sabha*]

Notice of Amendments

Sl. No.	*Name of Member and text of Amendment*	*Clause No.*
	SHRI BASUDEB ACHARIA:	
26.	Page 3, line 26,— *for* "clauses (a) to (h)" *substitute* "clauses (a) to (i)".	2
27.	Page 5, *for* line 3,— *substitute* "(e) an eminent person to be nominated by the Chief Election Commissioner, the Comptroller and Auditor General of India and the Union Public Service Commission Chairperson—member.".	4
28.	Page 7, *for* line 3 to 6,— *substitute* "**11.** (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the Lokpal shall constitute its own independent investigation wing headed by the Director of Investigations which will be the sole agency to look into any offence alleged to have been committed by a public servant under the Prevention of Corruption Act, 1988. (1A) The Central Government shall provide such number of officers and staff under the exclusive jurisdiction of Lokpal, as are decided in consultation with the Lokpal.".	11
49 of 1988.		
29.	Page 7, lines 9 and 10,— *omit* ", for conducting preliminary inquiries under this Act".	11
30.	Page 7, *after* line 45, *insert*,— "Provided that protection afforded under this sub-clause shall not apply in case of any commercial agreement entered into by the Prime Minister as head of the State with any country;".	14
31.	Page 8, *after* line 42, *insert*,— "(i) any corporate body, its promoters, its officers including Directors against whom there is a complaint of corruption in relation to grant of Government license, lease, contract, agreement or any other Government action or a complaint to influence Government policy through corrupt means.".	14

Sl. No.	Name of Member and text of Amendment	Clause No.
32.	Page 10, lines 16 to 31,—	20
	substitute "**20.** (1) The Lokpal shall on the receipt of a complaint first decide whether to proceed in the matter or close the same and if the Lokpal decides to proceed further it shall order the preliminary inquiry against any public servant by its own investigation wing to ascertain whether there exists a *prima facie* case for proceeding in the matter:	
	Provided that the Lokpal shall if it has decided to proceed with the preliminary inquiry by a general or special order, refer the complaints or a complaint received by it in respect of public servants belonging to group C and D to the Central Vigilance Commission constituted under sub-section (1) of section 3 of the Central Vigilance Commission Act, 2003.	45 of 2003.
	Provided further that the Central Vigilance Commission in respect of complaints referred to it in respect of public servants belonging to group C and D, after making preliminary inquiry, shall submit its report to the Lokpal after which the Lokpal will decide further action to be taken."	
33.	Page 10, lines 32 and 33,—	20
	for "the Inquiry Wing or any agency (including the Delhi Special Police Establishment)"	
	substitute "Its own Investigation Wing".	
34.	Page 10, *for* lines 44 and 45,—	20
	substitute "(a) further investigation by its own agency;".	
35.	Page 11, *for* lines 4 to 13,—	20
	substitute "(5) In case the Lokpal decides to proceed to investigate the complaint, its investigation agency shall ordinarily complete the investigation within a period of six months from the date of its order.	
	(6) All investigation of cases under the Prevention of Corruption Act, 1988 shall follow the procedure mentioned in this section and such reports shall be submitted to the Lokpal within the stipulated time.".	49 of 1988.
36.	Page 11, lines 15 and 16,—	20
	for "any agency (including the Delhi Special Police Establishment)"	
	substitute "its own Investigation Agency".	
37.	Page 11, lines 23 and 24,—	20
	for "any agency (including the Delhi Special Police Establishment)"	
	substitute "its own Investigation Agency".	
38.	Page 12, *for* lines 43 to 51,—	25
	substitute "**25.** (1) The Lokpal shall have the powers of superintendence, direction and full administrative	

Sl. No.	Name of Member and text of Amendment	Clause No.

control over the Investigation Agency to be set up under this Act, which shall be the sole agency to deal with cases under the Prevention of Corruption Act, 1988:

49 of 1988.

Provided that while exercising its powers, the Lokpal shall not act in any manner prejudicial to the independent investigation of the case so as to require the agency to investigate and/or dispose of any case in a particular manner.

(2) The Lokpal shall issue guidelines and directions to the Central Vigilance Commision concerning the preliminary inquiry into cases of Group 'C' and 'D' employees referred to the Commission by the Lokpal so as to enable the Lokpal to dispose of such cases within such time as the Lokpal may decide.".

39. Page 13, *omit* lines 1 to 4. — 25

40. Page 13, Line 18,— — 27

For "the Inquiry Wing of Lokpal"

Substitute "the Investigating Agency of Lokpal".

41. Page 14, *after* line 39, *insert*,— — 30

"(5) The Lokpal may take *suo moto* action in any case where it has reason to believe that a lease, license, contract or agreement or any other Government action was obtained by corrupt means and after hearing the parties if it so decides it may investigate such a case, it may recommend blacklisting of a firm, company, contractor or any other person involved in an act of corruption.

(5A) The Public authority shall either comply with the recommendation or reject the same within one month of receipt of the recommendation.

(5B) In the event of rejection of recommendation, the Lokpal may approach the appropriate Court for seeking directions to be given to the public authority.".

42. Page 15, *after* line 4, *insert*,— — 31

"(3) If any company or any of its officers or Director is found guilty of any offence under the Prevention of Corruption Act, 1988 the Lokpal may recommend that—

49 of 1988.

(i) the company and all companies promoted by any of that company's promoters shall be blacklisted and be ineligible for undertaking any Government or contract work in the future;

(ii) a sum equivalent to the loss entailed to the public exchequer may be recovered through the confiscation of assets, proceeds, receipts and benefits.

(3A) The public authority shall either comply with the recommendation or reject the same within one months of receipt of the recommendation.

(3B) In the event of rejection of the recommendation, the Lokpal may approach the appropriate Court for seeking directions to be given to the public authority.".

Sl. No.	Name of Member and text of Amendment	Clause No.
43.	Page 16, lines 18 to 39,— *substitute* "(2) The Chairperson or any other member of the Lokpal shall only be removed from office by the President, on the recommendation of the Supreme Court on any of the following grounds after the Supreme Court, on the complaint of any person has held an inquiry and found that the Chairperson or member can on such ground be removed:— (a) guilty of misbehavior, (b) unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body, (c) is adjudged an insolvent, or (d) engages during term of office in any paid employment outside the duties of office. (3) In any such proceeding, the Supreme Court may also direct the suspension of such Chairperson or member. (4) On receipt of recommendation from the Supreme Court, the President shall forthwith remove the Chairperson or the members as the case may be. (5) If the complaint is found to be frivolous or made with *malafide* intentions, the Supreme Court may impose a fine and/or imprisonment upto one year on the complaint.".	37
44.	Page 16, line 40,— *for* "(5)" *substitute* "(6)".	37
45.	*Page 23, after* line 29, *insert,*— "(1A) The provisions of this part shall be considered as guidelines for the State Legislatures for the purpose of establishing the office of Lokayukta.".	63
46.	Page 23, line 36,— *after* "Official Gazette" *insert* ",which shall be issued within six months of such commencement,".	64

NEW DELHI;
December 26, 2011
Pausa 5, 1933 *(Saka)*

T. K. VISWANATHAN,
Secretary-General.

GMGIPMRND—3597LS(S3)—26-12-2011.

LOK SABHA

LOKPAL AND LOKAYUKTAS BILL, 2011

[As introduced in Lok Sabha]

Notice of Amendments

Sl. No.	*Name of Member and text of Amendment*	*Clause No.*
	SHRI GURUDAS DASGUPTA:	
47.	Page 2, *for* lines 7 to 10, *substitute*,— "(4) The provisions of Lokpal shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint. (4A) The provisions of Lokayukta shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.".	1
48.	Page 7, line 45,— *omit* "public order,"	14
49.	Page 8, *for* lines 1 to 3,— *substitute* "(ii) unless the Lokpal consisting of its Chairperson and majority of members consider the initiation of inquiry and a simple majority of those attending approves of such inquiry:".	14
50.	Page 8, *after* line 42, *insert*— "(i) any person who is or has been a Chairman, managing Director or Member of Board of Directors of any private corporate company or business house or an employee of it, which deals with the Government of India or the Government of a State".	14

NEW DELHI;
December 26, 2011
Pausa 5, 1933 *(Saka)*

T. K. VISWANATHAN,
Secretary-General.

GMGIPMRND—3598LSLS(S3)—26-12-2011.

List No. 9

LOK SABHA

LOKPAL AND LOKAYUKTAS BILL, 2011

[*As introduced in Lok Sabha*]

Notice of Amendments

Sl. No.	*Name of Member and text of Amendment*	*Clause No.*
	SHRI LALU PRASAD:	
51.	Page 8, line 8,— *Omit* "or has been"	14
52.	Page 8, line 12,— *after* "affairs of the Union" *insert* "but does not include any Group 'A' or Group 'B' officer or equivalent or above of the Armed Forces of the Union"	14
53.	Page 8, line 16,— *after* "section 20" *insert* "but does not include any Group 'C' or Group 'D' official or equivalent of the Armed Forces of the Union"	14

NEW DELHI;
December 26, 2011
Pausa 5, 1933 *(Saka)*

T. K. VISWANATHAN,
Secretary-General.

GMGIPMRND—3599LSLS(S3)—26-12-2011.

LOK SABHA

LOKPAL AND LOKAYUKTAS BILL, 2011

(*As introduced in Lok Sabha*)

Notice of Amendments

Sl. No.	*Name of Member and text of Amendment*	*Clause No.*
	PROF. Sk. SAIDUL HAQUE:	
54.	Page 4, *for* lines 9 and 10,—	3
	substitute "(b) apart from the Chairperson, there shall be ten members out of which four shall be judicial members, three shall be persons with administrative and civil service background and the other three shall be drawn from fields such as law, academics and social service;".	
55.	Page 8, *after* line 42, *insert,*—	14
	"(i) Any person who is or has been functioning as editor or owner of Corporate house managed media or trust body run media, both electronic and printing;	
	(j) Any person who is or has been director, manager or other officer of any registered NGO who is in receipt of any donation from the public or from any foreign source of whatever amount under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010;	42 of 2010.
	(k) Any corporate body, its owners, its promoters, its officers against whom there is a complaint of corruption in relation to grant of Government license, contract, agreement or to influence Government policy through corrupt means."	
56.	Page 12, *after* line 51, *insert,*—	25
	"Provided further that the Lokpal shall be entrusted with quasi-judicial powers and autonomy to fulfil its functions in an independent, accountable, transparent and time-bound manner.".	

NEW DELHI;
December 26, 2011
Pausa 5, 1933 *(Saka)*

T. K. VISWANATHAN,
Secretary-General.

GMGIPMRND—3600LS(S3)—26.12.2011.

सूची संख्या 1

लोक सभा

संविधान (एक सौ सोलहवां संशोधन) विधेयक, 2011

(लोक सभा में यथा-पुर:स्थापित)

संशोधनों की सूचना

क्रमांक	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खंड संख्या
	श्री भर्तृहरि महताब:	
1.	पृष्ठ 2, पंक्ति 24,—	2
	''यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान मंडल'' के स्थान पर ''राज्य विधान मंडल'' प्रतिस्थापित किया जाए।	
2.	पृष्ठ 2, पंक्ति 29,—	2
	''यथास्थिति, संसद् या'' का लोप किया जाए।	
3.	पृष्ठ 2, पंक्ति 31,—	2
	''संसद् या'' का लोप किया जाए।	
4.	पृष्ठ 2, पंक्ति 34,—	2
	''यथास्थिति, संसद् या'' का लोप किया जाए।	
5.	पृष्ठ 3, पंक्ति 3,—	2
	''संसद् या'' का लोप किया जाए।	

नई दिल्ली;
26 दिसम्बर, 2011
5 पौष, 1933 (शक)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—3601LS(S3)—26-12-2011.

सूची संख्या 1

लोक सभा

लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011
(लोक सभा में यथा पुर:स्थापित)

संशोधनों की सूचना

क्रमांक	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खंड संख्या
	श्री इन्दर सिंह नामधारी:	
1.	पृष्ठ 7, पंक्ति 30-36 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–	11
1988 का 49 1946 का 25	''पर जहां तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत कथित रूप से किए गए अपराधों की जांच करने का संबंध है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 के स्थापित केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन) (जिसे इसमें इसके पश्चात् जांच खंड कहा गया है) के भ्रष्टाचार निरोध प्रभाग का अन्वेषण और अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण होगा।''।	जांच खंड।
2.	पृष्ठ 8, पंक्ति 33-35 का लोप किया जाए।	14
3.	पृष्ठ 12, पंक्ति 6 और 7 में, निम्नलिखित ''जांच खंड या कोई अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है)'' के स्थान पर ''दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन'' प्रतिस्थापित किया जाए।	20
4.	पृष्ठ 12, पंक्ति 12 और 13 में, निम्नलिखित ''जांच खंड या किसी अभिकरण से (जिसके अन्तर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है)'' के स्थान पर ''दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन'' प्रतिस्थापित किया जाए।	20
5.	पृष्ठ 12, पंक्ति 18 और 19 में, निम्नलिखित ''(क) यथास्थिति, किसी अभिकरण या दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा अन्वेषण;;'' के स्थान पर ''(क) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा अन्वेषण;'' प्रतिस्थापित किया जाए।	20
6.	पृष्ठ 12, पंक्ति 28 में,— ''किसी अभिकरण को (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है)'' के स्थान पर ''दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन'' प्रतिस्थापित किया जाए।	20
7.	पृष्ठ 13, पंक्ति 5 और 6 में,— ''किसी अभिकरण द्वारा (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है)'' के स्थान पर ''दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन'' प्रतिस्थापित किया जाए।	20

क्रमांक	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खंड संख्या
8.	पृष्ठ 23, पंक्ति 5 और 6 में,— "ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा" के स्थान पर "ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा" प्रतिस्थापित किया जाए।	46

नई दिल्ली;
26 दिसम्बर, 2011
5 पौष, 1933 (शक)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—3602LS(S3)—26-12-2011.

सूची संख्या 2

लोक सभा

लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011

(लोक सभा में यथा पुरःस्थापित)

संशोधनों की सूचना

क्रमांक	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खंड संख्या
	श्री एम॰ तम्बिदुरईः	
9.	पृष्ठ 8, पंक्ति 27 से 32, के स्थान पर ''(क) कोई प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का पद त्याग करने के पश्चात्'' प्रतिस्थापित किया जाए।	14
10.	पृष्ठ 8, पंक्ति 33 से 37 और पृष्ठ 9, पंक्ति 1 का लोप किया जाए।	14
11.	पृष्ठ 13, पंक्ति 41, ''नहीं'' का लोप किया जाए।	23
12.	पृष्ठ 32, पंक्ति 39, का लोप किया जाए।	75

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

नई दिल्ली;
26 दिसम्बर, 2011
5 पौष, 1933 (शक)

GMGIPMRND—3603LS(S3)—26-12-2011.

लोक सभा

लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011

(लोक सभा में यथा-पुर:स्थापित)

संशोधनों की सूचना

क्रमांक	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खंड संख्या
	श्री तथागत सत्पथी: **डॉ॰ प्रसन्न कुमार पाटसाणी:**	
13.	पृष्ठ 4, पंक्ति 20 के पश्चात् निम्नलिखित अत:स्थापित किया जाए,— "परंतु यह और कि देश के भौगोलिक क्षेत्रों के निम्नलिखित चार अंचलों में से, प्रत्येक से, कम-से-कम एक सदस्य होगा:— (i) पूर्वी अंचल जिसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा और सिक्किम राज्य समाविष्ट हैं; (ii) पश्चिमी अंचल जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र राज्य समाविष्ट हैं; (iii) उत्तरी अंचल जिसमें छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य समाविष्ट हैं; और (iv) दक्षिणी अंचल जिसमें आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्णाटक और तमिलनाडु राज्य समाविष्ट हैं।"।	3
	श्री तथागत सत्पथी:	
14.	पृष्ठ 24, पंक्ति 28,— "सात वर्ष" के स्थान पर "छह मास" प्रतिस्थापित किया जाए।	53
	श्री तथागत सत्पथी: **डॉ॰ प्रसन्न कुमार पाटसाणी:**	
15.	पृष्ठ 29, पंक्ति 2,— "पैंतालीस वर्ष" के स्थान पर "पच्चीस वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए।	64

नई दिल्ली;
26 दिसम्बर, 2011
5 पौष, 1933 (शक)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—3604LS(S3)—26-12-2011.

सूची संख्या 4

लोक सभा

लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011

(लोक सभा में यथापुर:स्थापित)

संशोधनों की सूचना

क्रमांक	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खंड संख्या
	श्री भर्तृहरि महताब:	
16.	पृष्ठ 1, पंक्ति 17, और पृष्ठ 2, पंक्ति 1 से 4 के स्थान पर ''(4) लोकपाल से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे। (4क) लोकायुक्त से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो संबंधित राज्य सरकारें राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।'' प्रतिस्थापित किया जाए।	1
17.	पृष्ठ 3, पंक्ति 19 के पश्चात् '(टक) ''अल्पसंख्यक'' से भाषायी अल्पसंख्यक अभिप्रेत है।' अंत:स्थापित किया जाए।	1

नई दिल्ली;
26 दिसम्बर, 2011
5 पौष, 1933 (शक)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—3605LS(S3)—26-12-2011.

लोक सभा

लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011

(लोक सभा में यथा-पुरःस्थापित)

संशोधनों की सूचना

क्रमांक	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खंड संख्या
	श्री असादुद्दीन ओवेसी:	
18.	पृष्ठ 8, पंक्ति 27 से 32 का लोप किया जाए।	14
19.	पृष्ठ 8, पंक्ति 33 से 37 और पृष्ठ 9, पंक्ति 1 का लोप किया जाए।	14
20.	पृष्ठ 24, पंक्ति 28,—	
	''सात वर्ष'' के स्थान पर ''छह मास'' प्रतिस्थापित किया जाए।	53

नई दिल्ली;
26 दिसम्बर, 2011
5 पौष, 1933 (शक)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—3606LS(S3)—26-12-2011.

लोक सभा

लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011

(लोक सभा में यथा पुर:स्थापित)

संशोधनों की सूचना

क्रमांक	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खंड संख्या
	श्री हंसराज गं॰ अहीर:	
21.	पृष्ठ 2, पंक्ति 14,— ''लोक सभा'' के पश्चात् ''और राज्य सभा'' अंत:स्थापित किया जाए।	2
22.	पृष्ठ 4, पंक्ति 18 से 20 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,— ''परंतु लोकपाल के सदस्यों के लिए संविधान के उपबंधों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और महिलाओं में से आरक्षण होगा।''।	3
23.	पृष्ठ 7, पंक्ति 13 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,— ''परंतु यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा सुझाए गए नामों के पैनल में कोई संविवाद होता है, तो लोकपाल सचिव के नाम का सुझाव देगा जिसे सचिव के रूप में नियुक्त करना केन्द्रीय सरकार के लिए आवद्धकर होगा।''	10
24.	पृष्ठ 8, पंक्ति 36-37 और पृष्ठ 9, पंक्ति 1 का लोप किया जाए।	14
25.	पृष्ठ 12, पंक्ति 32-33 का लोप किया जाए।	20

नई दिल्ली;
26 दिसम्बर, 2011
5 पौष, 1933 (शक)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—3607LS(S3)—26-12-2011.

लोक सभा

लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011
(लोक सभा में यथा पुर:स्थापित)

संशोधनों की सूचना

क्रमांक	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खंड संख्या
	श्री गुरुदास दासगुप्तः	
47.	पृष्ठ 1, पंक्ति 17 और पृष्ठ 2, पंक्ति 1 से 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,—	1
	"(4) लोकपाल के उपबंध ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।	
	(4क) लोकायुक्त के उपबंध ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।"।	
48.	पृष्ठ 8, पंक्ति 32,—	14
	"लोक व्यवस्था" शव्दों का लोप किया जाए।	
49.	पृष्ठ 8, पंक्ति 33 से 35 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,—	14
	"(ii) जब तक इसके अध्यक्ष और अधिकांश सदस्यों से मिलकर बना लोकपाल जांच आरंभ करने के बारे में विचार नहीं करता है और उपस्थित सदस्यों का साधारण बहुमत ऐसी जांच का अनुमोदन नहीं करता है:"।	
50.	पृष्ठ 9, पंक्ति 39 के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,—	14
	"(i) ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी प्राइवेट निगमित कंपनी या व्यवसाय गृह, जो भारत सरकार अथवा किसी राज्य की सरकार के साथ संव्यवहार करता है, का अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या सदस्य, या उसका कोई कर्मचारी है या रहा है"।	

नई दिल्ली;
26 दिसम्बर, 2011
5 पौष, 1933 (शक)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—3609LS(S3)—26-12-2011.

लोक सभा

लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011

[लोक सभा में यथा पुर:स्थापित]

संशोधनों की सूचना

क्रमांक	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खंड संख्या
	श्री बसुदेव आचार्य:	
26.	पृष्ठ 3, पंक्ति 26,— "खंड (क) से (क्ष)" के स्थान पर "खंड (क) से (झ)" प्रतिस्थापित किया जाए।	2
27.	पृष्ठ 5, पंक्ति 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,— "एक विख्यात व्यक्ति जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए-सदस्य।"।	4
28.	पृष्ठ 7, पंक्ति 29 से 32 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,— "तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी लोकपाल अपना स्वतंत्र अन्वेषण खंड गठित करेगा जिसका अध्यक्ष जांच निदेशक होगा जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा किए गए कथित अपराध की जांच के लिए एकमात्र अभिकरण होगा। (1988 का 49) (1क) केन्द्रीय सरकार लोकपाल के अनन्य अधिकारक्षेत्र में ऐसी संख्या में अधिकारी और कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगी जो लोकपाल से परामर्श करके तय की जाती है।"।	11
29.	पृष्ठ 7, पंक्ति 34,— "इस अधिनियम के अधीन प्रारंभिक जांच करने के लिए" का लोप किया जाए।	11
30.	पृष्ठ 8, पंक्ति 32 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,— "परंतु यह कि इस उपखंड के अंतर्गत दिया गया संरक्षण प्रधानमंत्री द्वारा राज्य के प्रधान के रूप में किसी भी देश के साथ किए गए किसी वाणिज्यिक करार के मामले में लागू नहीं होगा।"।	14
31.	पृष्ठ 9, पंक्ति 39 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,— "(i) कोई निगमित निकाय, इसके प्रवर्तक, इसके अधिकारी जिनमें निदेशक भी सम्मिलित हैं, जिनके विरुद्ध सरकारी अनुज्ञप्ति, पट्टा, संविदा, करार के संबंध में कोई शिकायत है या कोई अन्य सरकारी कार्रवाई है या भ्रष्ट तरीकों के माध्यम से सरकारी नीति को प्रभावित करने भ्रष्टाचार की कोई शिकायत है।"।	14
32.	पृष्ठ 10, पंक्ति 31 से 41 और पृष्ठ 11, पंक्ति 1 से 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,— "20. (1) लोकपाल, कोई शिकायत प्राप्त करने पर प्रथमत: यह विनिश्चय करेगा कि मामले में आगे कार्यवाही की जाए या उसे बंद कर दिया जाए और यदि लोकपाल आगे कार्यवाही किए जाने का विनिश्चय करता है तो वह यह अभिनिश्चित करने के संबंध में कि क्या मामले में कार्यवाही किए जाने के लिए कोई प्रथमदृष्टया मामला विद्यमान है,	20

क्रमांक	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खंड संख्या
	अपने अन्वेषण खंड द्वारा किसी लोक सेवक के विरुद्ध प्रारंभिक जांच करने की कार्यवाही करने का आदेश करेगा:	
	परंतु यह कि लोकपाल, यदि उसने प्रारंभिक जांच में आगे कार्यवाही का विनिश्चय किया हो तो वह किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा, समूह ग और घ के किन्हीं लोक सेवकों के संबंध में उसके द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों या किसी शिकायत को केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सतर्कता आयोग को निर्दिष्ट करेगा:	2003 का 45
	परंतु यह और कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग समूह 'ग' और 'घ' के लोक सेवकों के संबंध में उसे भेजी गई शिकायतों के बारे में प्रारंभिक जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट लोकपाल को भेजेगा जिसके पश्चात लोकपाल की जाने वाली आगे कार्यवाही का विनिश्चय करेगा।''	
33.	पृष्ठ 12, पंक्ति 6 और 7,—	20
	''जांच खंड या कोई अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है)'' के स्थान पर ''इसका अपना अन्वेषण खंड'' प्रतिस्थापित किया जाए।	
34.	पृष्ठ 12, पंक्ति 18 से 19 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,—	20
	''(क) इसके स्वयं के अभिकरण द्वारा आगे अन्वेषण।''।	
35.	पृष्ठ 12, पंक्ति 26 से 36 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,—	20
	''(5) यदि लोकपाल शिकायत का अन्वेषण करने की कार्यवाही करने का विनिश्चय करता है तो इसका अन्वेषण अभिकरण साधारणत: इसके आदेश की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर अंन्वेषण पूरा करेगा।	
	(6) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन मामलों के समस्त अन्वेषण के बाद इस धारा में उल्लिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी और ऐसी रिपोर्टें लोकपाल को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत की जाएंगी।''।	1988 का 49
36.	पृष्ठ 12, पंक्ति 38 से 39,—	20
	''कोई अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है)'' के स्थान पर ''इसका अपना अन्वेषण खंड'' प्रतिस्थापित किया जाए।	
37.	पृष्ठ 13, पंक्ति 5 से 6,—	20
	''कोई अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है)'' के स्थान पर ''इसका अपना अन्वेषण खंड'' प्रतिस्थापित किया जाए।	
38.	पृष्ठ 14, पंक्ति 32 से 41 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,—	25
	''25. (1) लोकपाल को, इस अधिनियम के अधीन गठित किए जाने वाले अन्वेषण अभिकरण, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन मामलों का संव्यवहार करने के लिए एकमात्र अभिकरण होगा, पर अधीक्षण, निदेशन और पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण की शक्तियां होंगी:	1988 का 49
	परंतु यह कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकपाल मामले के स्वतंत्र अन्वेषण के विरुद्ध किसी भी रीति से कृत्य नहीं करेगा, जिससे अभिकरण से किसी मामले का किसी विशिष्ट रीति में अन्वेषण करने और/या उसे निपटाने की अपेक्षा की जा सके।	

क्रमांक	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खंड संख्या
	(2) लोकपाल समूह 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों के मामलों, जो लोकपाल द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सौंपे जाए, के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग को दिशानिर्देश और निदेश जारी करेगा ताकि लोकपाल ऐसे मामलों का ऐसे समय के भीतर निपटान करने में समर्थ हो सके, जो लोकपाल विनिश्चय करे।''।	
39.	पृष्ठ 15, पंक्तियां 1 से 4 का लोप किया जाए।	25
40.	पृष्ठ 15, पंक्ति 21,— ''लोकपाल के जांच खंड'' के स्थान पर ''लोकपाल के अन्वेषण अभिकरण'' प्रतिस्थापित किया जाए।	27
41.	पृष्ठ 17, पंक्ति 16 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,— ''(5) लोकपाल किसी भी मामले में स्वत: कार्रवाई कर सकेगा जहां इसके समक्ष यह मानने का कारण हो कि कोई पट्टा, अनुज्ञप्ति, संविदा या करार या कोई अन्य सरकारी कार्रवाई भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त हुई है और पक्षकारों को सुनने के पश्चात् यदि वह ऐसा विनिश्चय करता है तो वह ऐसे मामले का अन्वेषण कर सकेगा, वह भ्रष्टाचार के कृत्य में लिप्त किसी फर्म, कंपनी, संविदाकार या किसी अन्य व्यक्ति को काली सूची में डालने की सिफारिश कर सकेगा। (5क) लोक प्राधिकारी सिफारिश प्राप्त होने के एक मास के भीतर या तो सिफारिश का अनुपालन करेगा या उसे अस्वीकार करेगा। (5ख) सिफारिश को अस्वीकार किए जाने की स्थिति में लोकपाल लोक प्राधिकारी को दिए जाने वाले निदेश प्राप्त करने के लिए समुचित न्यायालय में जा सकेगा।''।	30
42.	पृष्ठ 17, पंक्ति 32 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये,—	31
1988 का 49	''(3) यदि किसी कंपनी अथवा उसके किसी अधिकारी अथवा निदेशक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किसी अपराध का दोषी पाया जाता है, तो लोकपाल यह सिफारिश कर सकेगा कि — (एक) ऐसे किसी कंपनी प्रवर्तकों द्वारा प्रवर्तित कंपनी और सभी कंपनियों को काली सूची में रखा जाएगा और वह भविष्य में किसी सरकारी अथवा संविदा कार्य लेने के लिए निरर्ह होगा; (दो) सरकारी राजस्व को हुई हानि के समतुल्य किसी राशि की वसूली परिसम्पतियों, आय, प्राप्तियों और लाभ की जब्ती के माध्यम से की जाएगी। (3क) सरकारी प्राधिकारी या तो सिफारिश का अनुपालन करेगा अथवा सिफारिश की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसे अस्वीकृत करेगा। (3ख) सिफारिश के अस्वीकृत होने की स्थिति में लोकपाल लोक प्राधिकारी को दिए जाने वाले निदेश प्राप्त करने के लिए समुचित न्यायालय से सम्पर्क कर सकेगा।''	
43.	पृष्ठ 19, पंक्ति 16 से 36 और पृष्ठ 20, पंक्ति 1,—के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये — ''(2) अध्यक्ष या लोकपाल के किसी सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा पद से तभी हटाया जायेगा जब उच्चतम न्यायालय द्वारा इस आशय की सिफारिश की गई हो और उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किसी आधार पर निर्णय दिया गया हो कि किसी	37

क्रमांक	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खंड संख्या
	व्यक्ति की शिकायत पर कोई जांच करायी गई है और यह पाया गया है कि अध्यक्ष या सदस्य को ऐसे आधार पर पद से हटाया जा सकेगा:—	
	(क) कदाचार की दोषी है,	
	(ख) मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है,	
	(ग) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है; या	
	(घ) अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगता है।	
	(3) ऐसी किसी कार्यवधि में उच्चतम न्यायालय ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के निलम्बन का निदेश भी दे सकेगा।	
	(4) उच्चतम न्यायालय से सिफारिश की प्राप्ति पर राष्ट्रपति, अध्यक्ष या सदस्य को, जैसा मामला हो, पद से हटा सकेगा।	
	(5) यदि यह पाया जाता है कि शिकायत झूठी है या कपटपूर्ण इरादे से की गई है तो उच्चतम न्यायालय शिकायतकर्ता पर जुर्माना और/या एक वर्ष तक कारावास की सजा दे सकेगा।''	
44.	पृष्ठ 20, पंक्ति 2,— ''(5)'' के स्थान पर ''(6)'' प्रतिस्थापित किया जाये।	37
45.	पृष्ठ 28 पंक्ति 8 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये,— ''(1क) इस भाग के उपबंध लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना के प्रयोजनार्थ राज्य विधान मंडलों के लिए मार्गनिदेश माने जाएंगे।''।	63
46.	पृष्ठ 28, पंक्ति 14,— ''राजपत्र'' के पश्चात् '',जो इसके आरम्भ होने के छह माह के भीतर जारी किया जाएगा,''। अंत:स्थापित किया जाये।	64

नई दिल्ली;
26 दिसम्बर, 2011
5 पौष, 1933 (शक)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—3608LS(S3)—26-12-2011.

सूची संख्या 9

लोक सभा

लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011

(लोक सभा में यथा पुर:स्थापित)

संशोधनों की सूचना

क्रमांक	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खंड संख्या
	श्री लालू प्रसाद:	
51.	पृष्ठ 9, पंक्ति 3, ''रहा है'' का लोप किया जाए।	14
52.	पृष्ठ 9, पंक्ति 6, में ''संघ के कार्यों'' के पश्चात्	14
	''किन्तु इसमें संघ के सशस्त्र बल के समूह ''क'' अथवा समूह ''ख'' अधिकारी अथवा समकक्ष अथवा उसके ऊपर का कोई अधिकारी शामिल नहीं है।'' अंत:स्थापित किया जाए।	
53.	पृष्ठ 9, पंक्ति 12, ''सेवा की है'' के पश्चात्	14
	''किन्तु इसमें संघ के सशस्त्र बल के समूह ''ग'' अथवा समूह ''घ'' कोई कर्मचारी अथवा समकक्ष कर्मचारी शामिल नहीं है,'' अंत:स्थापित किया जाए।	

नई दिल्ली;
26 दिसम्बर, 2011
5 पौष, 1933 (शक)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—3610LS(S3)—26-12-2011.

लोक सभा

लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011

(लोक सभा में यथा पुर:स्थापित)

संशोधनों की सूचना

क्रमांक	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खंड संख्या
	प्रो॰ शेख सैदुल हक:	
54.	पृष्ठ 4, पंक्ति 16 से 20 **के स्थान पर,** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए,—	9
	"अध्यक्ष के अलावा, लोकपाल में 10 सदस्य होंगे जिसमें से चार न्यायिक सदस्य होंगे, तीन प्रशासनिक और सिविल सेवा की पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति होंगे और अन्य तीन को विधि, शैक्षणिक और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से लिया जाएगा।"	
55.	पृष्ठ 9, पंक्ति 39 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए,—	14
	"(झ) ऐसा कोई व्यक्ति जो निगमित गृह प्रबंधित मीडिया अथवा न्यास निकाय संचालित मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और मुद्रण दोनों, के संपादक अथवा स्वामी के रूप में कार्यरत है अथवा रहा है;	
	(ञ) ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत एनजीओ का निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी है या रहा है, जो जनता से अथवा विदेशी अभिदाय (विनियमन)	
2010 का 42	अधिनियम, 2010 के अधीन किसी विदेशी स्रोत से किसी भी राशि का संदाय प्राप्त कर रहा है;	
	(ट) ऐसा कोई निगमित निकाय, इसके स्वामी, इसके प्रवर्त्तक, इसके अधिकारी जिनके विरुद्ध सरकारी अनुज्ञप्ति, संविदा, करार प्रदान करने के संदर्भ में अथवा भ्रष्ट तरीकों से सरकारी नीति को प्रभावित करने के लिए भ्रष्टाचार की शिकायत है।"	
56.	पृष्ठ 14, पंक्ति 41 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए,—	25
	"परंतु यह और कि लोकपाल को एक स्वतंत्र, उत्तरदायी, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से इसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अर्ध-न्यायिक शक्तियां और स्वायत्तता सौंपी जाएंगी।"।	

नई दिल्ली;
26 दिसम्बर, 2011
5 पौष, 1933 (शक)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—3611LS(S3)—26-12-2011.